रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082022-238028
CG-DL-E-10082022-238028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3590]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 10, 2022/श्रावण 19, 1944
No. 3590]	NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 10, 2022/SHRAVANA 19, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2022

का.आ. 3758(अ).—केन्द्रीय सरकार, चिकित्सा युक्ति नियम, 2017 के नियम 19 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डॉ. सरोज कुमार घोष, प्रभारी निदेशक केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता को, उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (4) या चिकित्सा युक्ति नियम, 2017 के प्ररूप एमडी-30 के अधीन परीक्षण के कानूनी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या न्यायालयों द्वारा भेजे गए चिकित्सा युक्ति के नमूनों का मूल्यांकन करने के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उस पद पर नियमित रूप से नियुक्त व्यक्ति के पद भार ग्रहण करने तक या अग्रिम आदेशों तक, जो भी पुर्वतर हो, पूरे भारत के लिए उक्त प्रयोगशाला के प्रभारी निदेशक के रूप में प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. एक्स.11014/4/2022-डीआर]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2022

S.O. 3758(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 19 of the Medical Devices Rules, 2017, the Central Government hereby authorises Dr. Saroj Kumar Ghosh, Director In-charge of Central Drugs Laboratory, Kolkata, to sign statutory certificate of test or evaluation of samples of medical devices sent by Courts of Law under sub-section (4) of section 25 of the said Act or in Form MD-30 of the Medical Devices Rules, 2017, as the Director In-charge of the said laboratory, for the whole of India with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette till the regularly appointed person takes charge of the post or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. X.11014/4/2022-DR]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.08.10 21:55:41 +05'30'